मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

पीठासीन अधिकारी :— प्यारेलाल सोठवाल (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
139 / 19	07.06.2019	15.10.2019

उनवान

1 महावीर सिंह
2 चरणजीत सिंह पुत्रान श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: वादीगण

बनाम

1. जस्सूसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: प्रतिवादीगण

दावा 53,188 राज0 कास्त0 अधि0

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से वकील **श्री रणवीर यादव** की उपस्थित व प्रतिवादी की अनुस्थिति में इस वाद में आज दिनांक **15.10.2019** को **प्यारेलाल सोठवाल उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 577 रकबा 0.81 है0 लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमाक—2905 दिनांक 03.10.2019 प्रदर्श—अ के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व शीर्षक इस अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। दोनो पक्षो को सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15/10/19

(प्यारेलाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद सं. 35/19
मनपाल बनाम महेन्द्र आदि
प्रा0 पर्चा डिक्री निर्णय दिनांकः– 19.08.2019

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :–		योगेश कुमार डागुर आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.	दायर दिनांक	प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक
139/2019	07.06.19	19.08.2019

1. महावीर सिंह
2. चरणजीत सिंह पुत्रान भगवान सिंह जातियान राजपूत निवासीयान लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. जस्सू सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

–: प्राथमिक पर्चा डिक्रीः–

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 19.08.2019 को **योगेश कुमार डागुर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर स्थित आराजी खसरा नं0 577 रकबा 0.81 है0 में वादी व प्रतिवादी का खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 09.09.2019 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह आज तारीख 19.08.2019 को मेरे हस्तांक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner